न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 72/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2024/203

वादीगण	प्रतिवादी
1.लूणकरण पुत्र रामनिवास जाति अग्रवाल 2.संगीतादेवी पत्नि राजेश गहलोत जाति माली 3.अभयकुमार मूणोत पुत्र संतोकचंद जाति जैन निवासी बालोतरा जरिए मुख्त्यारधारक नरेन्द्रकुमार बाफना पुत्र श्री मदनेश बाफना जाति जैन निवासी जहानवी अस्पताल के पास बालोतरा 4.गोपीदेवी पत्नि रामविलास जाति सोनी निवासी जोधपुर जरिए मुख्त्यारधारक नरेन्द्रकुमार बाफना पुत्र श्री मदनेश बाफना जाति जैन निवासी जहानवी अस्पताल के पास बालोतरा 5.दुर्गादेवी सोनी पत्नि ओमप्रकाश सोनी निवासी जोधपुर जरिए मुख्त्यारधारक नरेन्द्रकुमार बाफना पुत्र श्री मदनेश बाफना जाति जैन निवासी जहानवी अस्पताल के पास बालोतरा	बनाम 1.गोमाराम पुत्र सोनाराम जाति कुम्हार निवासी सीनियर सेकेन्डरी स्कूल के पास पचपदरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता वादीगण
2.श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01
3.प्रतिवादी संख्या 02 अनुपस्थित

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद संख्या 72/2024
लूणकरण बनाम गोमाराम वगैरा

निर्णय

दिनांक– 21.01.2026

संक्षिप्त में वाद–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा चिरडाणी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 659/199 क्षेत्रफल 1.2646 हैक्टयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी भूमि के संवंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 10.9.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिस पर उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी जाकर विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा चिरडाणी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 659/199 क्षेत्रफल 1.2646 हैक्टयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

कं.सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	वरंग
1	अभयकुमार मुणोत पुत्र संतोकचंद जाति जैन हिस्सा पूर्ण सा. बालोतरा खातेदार	चिरडाणी	659/199	0.0506	A
2	संगीता पत्नी राजेश गहलोत हिस्सा पूर्ण जाति माली सा. बालोतरा खातेदार	चिरडाणी	659/199	0.0505 0.0252 0.0886	B H F
3	गोमाराम पुत्र सोनाराम हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. पचपदरा खातदेार	चिरडाणी	659/199	0.4426	K
4	दुर्गादेवी सोनी पत्नी ओमप्रकाश सोनी हिस्सा पूर्ण जाति सोनी सा. जोधपुर खातेदार	चिरडाणी	659/199	0.1644	D
5	गोपीदेवी पत्नी रामविलास हिस्सा पूर्ण जाति सोनी सा. जोधपुर खातेदार	चिरडाणी	659/199	0.0506	G

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

6	लूणकरण पुत्र रामनिवास हिस्सा पूर्ण जाति अग्रवाल सा. बालोतरा खातेदार	चिरडाणी	659/199	0.2782	J
7	लूणकरण पुत्र रामनिवास हिस्सा 380/1139 जाति अग्रवाल सा. बालोतरा खातेदार संगीता पत्नी राजेश गहलोत हिस्सा 759/1139 जाति माली सा. बालोतरा खातेदार (रास्ते हेतु)	चिरडाणी	659/199	0.0189 0.0189 0.0761	C E I

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि रास्ते हेतु शामलाती भूमि जो विभाजन प्रस्ताव के क्र.सं.7 पर दर्ज है,जो बरंग सी,ई व आई चिन्ह अंकित है,को खाता संख्या 01 मे किस्म गै. मु. रास्ता दर्ज करे तथा उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

(अशोक कुमार) 21/01/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 21.01.2026 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

21/01/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:— **अशोक कुमार, आर.ए.एस.**
राजस्व वाद संख्या :— **72/2024**
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— **2024/203**

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादी**

वादीगण	प्रतिवादी
1.लूणकरण पुत्र रामनिवास जाति अग्रवाल 2.संगीतादेवी पत्नि राजेश गहलोत जाति माली 3.अभयकुमार मूणोत पुत्र संतोकचंद जाति जैन निवासी बालोतरा जरिए मुख्त्यारधारक नरेन्द्रकुमार बाफना पुत्र श्री मदनेश बाफना जाति जैन निवासी जहानवी अस्पताल के पास बालोतरा 4.गोपीदेवी पत्नि रामविलास जाति सोनी निवासी जोधपुर जरिए मुख्त्यारधारक नरेन्द्रकुमार बाफना पुत्र श्री मदनेश बाफना जाति जैन निवासी जहानवी अस्पताल के पास बालोतरा 5.दुर्गादेवी सोनी पत्नि ओमप्रकाश सोनी निवासी जोधपुर जरिए मुख्त्यारधारक नरेन्द्रकुमार बाफना पुत्र श्री मदनेश बाफना जाति जैन निवासी जहानवी अस्पताल के पास बालोतरा	1.गोमाराम पुत्र सोनाराम जाति कुम्हार निवासी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल के पास पचपदरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:—53,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर : 72/2024
निर्णय दिनांक :—21.01.2026

वादीगण की ओर से श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 02 अनुपस्थित,इस वाद में आज तारीख 21.01.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि:**—वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 21.01.2026 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिए जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद संख्या 72/2024
लूणकरण बनाम गोमाराम वगैरा

अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 21.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार) 21/01/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

21/01/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा